न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री मालिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या:— 09 / 2025

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रचना टांक पत्नी धीरज टांक जाति माली निवासी चांदपोल गेट के बाहर, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला— पाली।		1. इन्दाराम पुत्र केसाराम 2. जगदीश प्रसाद पुत्र केसाराम 3. पानी देवी पत्नी केसाराम 4. विमला पुत्री केसाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बागावास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।

दिनांक 03/04/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110, 111 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बागावास पटवार हल्का धाकड़ी भू. अ.नि. सुरायता तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1170 / 3 रकबा 0.4800 हैक्टर आई हुई स्थित है। उक्त आराजीयात कृषि भूमि नेशनल हाईवे 162 सरहद बागावास पर स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के तीनो तरफ पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण तरफ अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1170 रकबा 1.4100 हैक्टर आई हुई स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के तीनों तरफ स्थित होने से अप्रार्थीगण प्रार्थीया की कृषि भूमि की माठो को परिवर्तित करते रहते हैं। जिससे मौके पर माठो को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1170 / 3 की पेमाईश करवाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, सोजत के समक्ष दिनांक 27 / 11 / 2024 को पेश किया गया था तथा दिनांक 10 / 12 / 2024 को जांच हेतु पटवारी के पास प्रेषित किया गया, पटवारी हल्का के द्वारा जांच रिपोर्ट की सीमा सम्बंधित विवाद होने एवं सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। तहसीलदार, सोजत के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया, लेकिन पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि. के द्वारा खसरा संख्या 1170 / 3 के मौके पर राजस्व टीम के सीमांकन सम्भव नहीं होना बताकर पत्थर गढढी का दावा कर अनुतोष प्राप्त करने की टिप्पणी करते हुए पेमाईश करने से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की कृषि भूमि का सीमाकंन पत्थर गढ़ढी के जरिये मौके पर मुटाव लगवाया जाकर माठो का निर्धारण किया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पेमाईश करवाकर माठो का निर्धारण करवाना चाहती है, जिससे अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ स्थायी रूप से तारबंदी व पोल लगाकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा एवं उसमें लगी फसल की सुरक्षा करना चाहती है। मौके पर पक्षकारो के बीच माठो का स्थायी निर्धारण नहीं होने से वाद विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को सहमति से नाप चौक करवाकर माठ का निर्धारण करने हेतु कई बार निवेदन भी किया, लेकिन अप्रार्थीगण सहमत नहीं हुए, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह प्रार्थना श्रीमान के समक्ष राजस्व टीम गठित पत्थर गढ़ढी के जरिये सीमाज्ञान करवाने हेतु पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर सरहद मौजा बागावास पटवार हल्का धाकड़ी भू.अ.नि. सुरायता तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नबंर 1170 / 3 रकबा 0.4800 हैक्टर का सीमाज्ञान करवाने हेतु टीम गठित करने के आदेश फरमाया जाकर उक्त कृषि भूमि का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगावाया जाकर सीमांकन करने के आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना/तामीली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा बागावास पटवार हल्का धाकड़ी भू.अ.नि. सुरायता तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नबंर 1170/3 रकबा 0.4800 हैक्टर का सीमाज्ञान करवाने हेतु टीम गठित करने के आदेश फरमाया जाकर उक्त कृषि भूमि का पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगावाया जाकर सीमांकन करने के आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर ख.नं. 1170/3 की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा बागावास पटवार हल्का धाकड़ी भू.अ.नि. सुरायता तहसील सोजत जिला पाली में खसरा नबंर 1170/3 रकबा 0.4800 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बागावास पटवार हल्का धाकड़ी भू.अ.नि. सुरायता तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1170/3 रकबा 0.4800 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)